बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

सं0–02 / स्था0–SDRF-02/17/...2301...आ0प्र0, पटना दिनांक –8/8/17

गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना सं0–6376 दि0–06 अगस्त 2010 की कंडिका –4 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक को किसी एक केस में अधिकतम ₹ 5,000 / –(पॉच हजार रू0) तक नगद पुरस्कार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

एस0डी0आर0एफ0 कार्मिकों का कार्य दुरुह प्रकृति का है। इनमें उत्साह बनाए रखने हेतु पुरस्कृत किया जाना एक उपाय हो सकता है। बजट शीर्ष 2245–80–102–0104–राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स, विस्तृत शीर्ष –05 –पुरस्कार, विषय शीर्ष –05–पुरस्कार मद में राशि का उपबंध किया गया है।

सम्यक् विचारोपरांत उक्त अधिसूचना के आलोक में समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना को किसी एक केस में अधिकतम ₹ 5,000 / –(पॉच हजार रू0) तक नगद पुरस्कार स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –02 / स्था0–SDRF-02/17 / ...2301... / आ0प्र0 दिनांक – 8/8/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 राइट कॉपी के साथ अधिसूचना को बिहार के असाधारण अंक मे प्रकाशित करने एवं प्रकाशित गजट की प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने हेतु /उपसचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी0डी0 राइट कॉपी के साथ अधिसूचना को ई–गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –02 / स्था0–SDRF-02/17 / ...2301... / आ0प्र0 दिनांक – 8/8/17

प्रतिलिपि–समादेष्टा / उप समादेष्टा / सहायक समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

\\Wipro-pc\d\Hall Wipro Photostat\SDRF\Adhisuchana.docx